सहकारी आवास समितियों के निबन्धन के सम्बन्ध में समय–समय पर पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशो को अवक्रमित करते हुए समेकित दिशा निर्देश निम्नवत् जारी किये जाते हैः–

1. निर्धारित मूल्य पर सहकारी आवास समिति की आदर्श उपविधि उ0प्र0सहकारी आवास संघ की शाखा अथवा संघ मुख्यालय से भुगतान करके प्राप्त की जा सकती हैं, तत्पश्चात रू0 50/– निबन्धन शुल्क ट्रेजरी चालान शीर्षक ''0425सहकारिता–800–05–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियॉं'' में जमा करके निबन्धन से संबंधित अधोलिखित आवश्यक प्रपत्र परिषद(सहकारिता अनुभाग) से प्राप्त किये जा सकते हैं :–

1.1– **सहकारी आवास समिति के निबन्धन हेतु प्रार्थना पत्रः**–यह प्रार्थना पत्र मुख्य प्रवर्तक द्वारा भरा जायेगा। (संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.1)

1.2– **शपथ पत्रः**– रू0 6/–के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित मुख्य प्रवर्तक द्वारा दिया जायेगा । (संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.2)

1.3– **शपथ पत्रः**– रू0 2/–के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ पत्र प्रस्तावित समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग दिया जायेगा ।(संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.3)

1.4– **घोषणा पत्रः**–उक्त क्रमांक 1.3 के साथ प्रत्येक सदस्य द्वारा दिया जायेगा।(संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.4)

1.5– **प्रस्तावित समिति के अवैतनिक सचिव की नियुक्ति संबंधी आदेश का प्रारूप**(संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.5)

1.6– **प्रस्तावित समिति के अवैतनिक सचिव की योगदान सूचना का प्रारूप**(संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.6)

1.7– **संगठनात्मक एवं निरीक्षक रिपोर्ट का प्रारूपः** (संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.7)

1.8– प्रस्तावित समिति के सदस्यो का संकलित विवरण प्रारूपः– इस प्रारूप पर प्रत्येक सदस्य के नाम के सम्मुख, पिता/पति का नाम, पता, उम्र, पेशा, वार्षिक आय का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर होगें, जिनको सूची के अन्त में मुख्य प्रवर्तक/सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। (संलग्न प्रारूप UPHDB/FOR./COH/1.8)

1.9– संगठनात्मक बैठक की कार्यवाही की तीन प्रमाणित प्रतियॉंः
उक्त प्रपत्रों एवं अभिलेखों को पूर्णरूप से भरकर संबधित आवास अधिकारी को दिया जायेगा।

2. ऋण वितरण करने वाली सहकारी आवास समितियों के मुख्य प्रवर्तक संबंधित शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ की संस्तुति भी निबन्धन हेतु प्रेषित करेगें।

3. सहकारी आवास अधिकारी निबन्धन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र पर प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर जॉंच करेंगे, इसके उपरान्त मुख्य प्रवर्तक 15 दिन के अन्दर संगठनात्मक बैठक करेगें। इस बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवाही पुस्तिका में मुख्य प्रवर्तक द्वारा बैठक समाप्त होने के 01 दिन के अन्दर अभिलिखित किया जायेगा, तदोपरान्त सहकारी आवास अधिकारी

द्वारा मुख्य प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों की जॉच का कार्य पत्रावली प्राप्त होने के 03 दिन में पूर्ण करके अपनी आख्या अभिलेखो सहित मुख्यालय को विलम्बतम 04 दिन में प्रेषित की जायेगी। मुख्यालय पर प्राप्त संस्तुति का परीक्षण करके निबन्धन पटल सहायक द्वारा 03 दिन में कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

यह समय सीमा आई0एस0ओ0 मैनुअल के अनुसार है,जो इसमें परिवर्तन के अनुसार परिवर्तनीय होगी ।

4. समिति के सचिव के लिए उ0 प्र0सहकारी समिति अधिनियम–1965 की धारा–121 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन निम्न अर्हतायें निर्धारित की जाती हैं ।

4.1– **शैक्षिक योग्यता**:– सचिव पद के अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक हैं, परन्तु सहकारिता विभाग में 05 वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी । सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र मे सचिव पद का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

4.2– **आयु**:– 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में संबंधित सहायक आवास आयुक्त/सहायक निबन्धक को निर्धारित आयुसीमा में छूट देने का अधिकार होगा ।

4.3– **जमानत**:–प्रत्येक सचिव को रूपये पच्चीस–पच्चीस हजार के दो साक्षी जमानत देने होगें ।

4.4– **फाईडेल्टी**:–प्रत्येक सचिव को रूपये एक लाख की फाईडेल्टी की गारन्टी की प्रतिपूर्ति समिति के पक्ष में देनी होगी ।

4.5– **अन्य**:–कोई भी व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सचिव नहीं होगा अथवा एक समिति की प्रबन्ध समिति का कोई सदस्य/पदाधिकारी दूसरी समिति का वैतनिक/अवैतनिक सचिव नियुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

4.6– समिति के सचिव को प्रदान किये जाने वाले **मानदेय/कनवेन्स** पारिश्रमिक के विषय में समिति की प्रबन्ध कमेटी, समिति की आर्थिक स्थिति एवं अर्जित लाभ को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लेगी ।

5. निबन्धन प्रकिया के अधीन संगठनात्मक बैठक में समस्त प्रस्तावित सदस्यो के साथ–साथ विभागीय अधिकारी/सहकारी पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेगें ।

6. निबन्धन के समय समिति द्वारा रू0 1000/–धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "**सहकारी विकास खाता**" के पक्ष में तथा लखनऊ में देय होगा, प्रेषित किया जायेगा। भविष्य में निर्वाचन से पूर्व उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट समिति द्वारा प्रेषित किया जायेगा ।

7. सहकारी आवास अधिकारी समिति के निबन्धन के उपरान्त निर्धारित समयसीमा में निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी होगें ।

8. सहकारी आवास अधिकारी विभिन्न राजकीय/अशासकीय संस्थाओं से समितियों को भूमि उपलब्ध कराने, मार्गदर्शन प्रदान करने, समस्याओं का निराकरण करने के लिए Facilitator के रूप में कार्य करेगें ।

सहकारी आवास समिति के निबन्धन के सम्बन्ध में उक्त प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा।

Refer to Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/COH/58 of ISO-9001 : 2000	A.H.C./A.R.	D.H.C./D.R.	H.C/R.C.S.

	OFFICE ORDER	Document No.: UPHDB./OO/COH/02
	विषयः सैहकारी आवास समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश	Revision No.: 00
		Effective Date: 1.04.2004
		Page 1 of 2

सहकारी आवास समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त आदेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए समेकित रूप में निर्देश निम्नवत् प्रसारित किये जाते है–

1. आवास आयुक्त/निबन्धक द्वारा सहकारी आवास समितियों के निर्वाचन की तिथि का प्रकाशन एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में समितियों से निर्वाचन के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।
2. समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण सबसे पहले किया जायेगा। इस कार्य के लिये सदस्यता सूची आवश्यक है। सदस्यता सूची के सम्बन्ध यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि इसमें पात्र लोगों के ही नाम शामिल हो।
3. समिति के सदस्यों की सूची में वही नाम शामिल किये जाने चाहिए जिनकी अंशपूंजी रसीद सक्षम अधिकारी द्वारा प्रबन्ध समिति की सहमति से काटी गयी हो, इसका प्रमाण सहकारी आवास अधिकारी अभिलेख देखकर देंगे। यह सूची उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम संख्या–409 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप तैयार की जायेगी।
4. निर्वाचन क्षेत्र अवधारण के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 440 के प्राविधान के अनुसार की जायेगी तथा आरक्षण की व्यवस्था निर्वाचन के समय प्रचलित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।
5. सहकारी आवास अधिकारी/ पर्यवेक्षक की संस्तुति के साथ समिति के सदस्यों की सूची दो प्रतियों में निर्वाचन प्रस्ताव के साथ मुख्यालय भेजी जायेगी।

Refer to Process No. UPHDB/PM/COH/59 of ISO 9001:2000	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	AHC/AR	DHC/DR	H.C/RCS

6. निर्वाचन क्षेत्र के अवधारण के उपरान्त आवास आयुक्त/निबन्धक द्वारा निर्धारित तिथियों पर निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवास अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करायी जायेगी।
7. सहकारी आवास अधिकारी समिति का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप सम्पन्न कराने में निर्वाचन अधिकारी की सहायता करेंगे।
8. निर्वाचन के समय समिति द्वारा दो ड्राफ्ट पृथक–पृथक बनवाकर निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित किये जायेंगे–

8.1 नौ सौ रूपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट **'सहकारी निर्वाचन खाता 94'** के नाम से बनेगा जिसका भुगतान लखनऊ में देय होगा।

8.2 एक हजार रूपये धनराशि का बैंक ड्राफ्ट **'सहकारी विकास खाता'** के नाम से बनेंगा जिसका भुगतान लखनऊ में देय होगा।

9. सहकारी आवास अधिकारी निर्वाचन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित परिणाम की प्रति तथा प्रपत्र ' ट ' व निर्वाचन प्रकिया से प्राप्त शुल्क की धनराशि एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
10. निर्वाचन के सम्बन्ध में आई0एस0ओ0 9001–2000 प्रोसेस मैनुअल में निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

Refer to Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/PM/COH/59 of ISO 9001:2000	AHC/AR	DHC/DR	HC/RCS

सहकारी आवास समिति के निबन्धन हेतु

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा–6 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

1. प्रस्तावित समिति का नाम –
2. प्रस्तावित समिति का मुख्यालय का पता–
3. समिति किस श्रेणी की है–
   क– शीर्षस्थ
   ख– केन्द्रीय अथवा प्रारम्भिक
   ग– कृषि अथवा अन्य
4. समिति के सदस्यों का दायित्व क्या होगा
   अ–सीमित
   ब–अंशों के अन्तिम मूल्य तक
   स–बिना अंशो के
   या
   द–अंशों के गुणित तक सीमित
5. प्रस्तावित समिति का कार्यक्षेत्र–
6. प्रस्तावित समिति का कार्य क्षेत्र संवर्ग नियम 15(3)
7. उपविधियों के अनुसार निर्गमित किये जाने वाले अंशों की संख्या व मूल्य यदि कोई निर्धारित किया गया हो–
8. प्रत्येक अंश का मूल्य व किश्त जिसके द्वारा अंश का भुगतान करना है–
9. सदस्यता के लिये अर्हतायें–
10. उन व्यक्तियों की संख्या जो साधारण सदस्यों के रूप में प्रस्तावित समिति की सदस्यता ग्रहण के लिये सहमत हैं–
11. भाषा जिसमें प्रस्तावित समिति के लेखे रखे जायेंगे–

टिप्पणी–संख्यानं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 प्रविष्टि के सामने सम्बद्ध उपविधियों का भी उद्धरण दीजिये

12. पूरा नाम व पता–

(क) प्रस्तावित सचिव (प्रथम हस्ताक्षरी)

(ख) मुख्य प्रवर्तक–

13. समिति का पूरा पता–

14. उन व्यक्तियों के नाम जो कि तदर्थ समिति (Adhoc Committee) के सदस्य चुने गये हैं जो कि प्रस्तावित समिति के कार्यकलापों का संचालन समिति के निबंधन की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अथवा बढ़ाई गयी ऐसे अवधि तक जिसको निबंधक द्वारा लिखित रूप से आज्ञा दी गयी है, करेगी।

क्रम सं0	नाम सदस्य	पिता का नाम	पता
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

15. उपरोक्त वर्णित समिति के निबंधन हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ताओं जिनके नाम व पते व हस्ताक्षर तथा अन्य विवरण निम्न है, द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। हम अधोहस्ताक्षरकर्ता यह घोषणा करते हैं कि हम प्रस्तावित समिति से संबंधित रहने की अवधि में अधिनियम, नियमों तथा समिति की उपविधियों के प्राविधानों का पालन करते रहेंगे।

ब– अधिनियम, नियमावली तथा उपविधियों में निर्धारित अन्य शर्तो के अधीन रहते हुए किसी परिवार का एक से अधिक सदस्य समिति में सम्मिलित नहीं होगा–

क्र. सं.	प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम	पिता का नाम	आयु	व्यवसाय अथवा पेशा	निवास स्थान	डाकखाना	जिला	हस्ताक्षर
1.	2	3	4	5	6	7	8	9

सूची संलग्न है

मुख्य प्रवर्तक

Refer to Process No. UPHDB/PM/COH/58 & O/O No. UPHDB/OO/COH/01	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	AHC/AR	DHC/DR	JLC/RCS

	FORMAT	Document No.:	UPHDB./FOR/COH/1.2
	विषयः सहकारी आवास समिति के निबन्धन की प्रकिया (प्रारूप 1.2)	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.04.2004
		Page 1 of 1	

(रू06 / – के स्टाम्प पर)

मुख्य प्रवर्तक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप–

<u>शपथ पत्र</u>

समक्षः उप आवास आयुक्त / उप निबन्धक,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ ।

मैं.. पुत्र / पुत्री / पत्नी / ....निवासी.................... .... प्रस्तावित...................................सहकारी आवास समिति लि0......................... का मुख्य प्रवर्तक हूँ और शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:–

1– मेरा उपरोक्त नाम व पता सही हैं।

2– प्रस्तावित............................ सहकारी आवास समिति लि0................. के सभी सदस्य भिन्न–भिन्न परिवार के हैं तथा 75प्रतिशत सदस्य उ0प्र0 सहकारी समिति नियमावली–1968 के नियम सं0–2(प) के अधीन आपस में निकट संबंधी नहीं हैं।

3– प्रस्तावित .... सहकारी आवास समिति लि0........................ के सदस्यों द्वारा दर्शाये गये पते एवं हस्ताक्षर सही हैं। प्रस्तावित समिति के सदस्यों द्वारा अलग–अलग शपथ पत्र दिये गये हैं। समिति के निबन्धन के पश्चात् भी नये सदस्य बनाने के पूर्व इसी आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।

4– प्रस्तावित............................ सहकारी आवास समिति लि0 .... के सदस्यों से वसूल अंशधन में से रू0 2500 / – समिति के निबन्धन के पश्चात उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ में अंशधन के रूप में जमा कर सदस्यता ग्रहण करेगी एवं अवशेष अंशधन जिला सहकारी बैंक / उ0प्र0 सहकारी बैंक लि0 शाखा........................ में अनिवार्य रूप से जमा करेगी।

5– प्रस्तावित समिति केवल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, संबंधित विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ, नोएडा / ग्रेटर नोएडा, राजकीय संस्थान एवं निगमित निकाय से ही भूमि क्रय करेगी। यदि इन संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से भूमि क्रय करनी है तो ऐसी भूमि क्रय करने से पूर्व आवास आयुक्त / निबन्धक से लिखित अनापत्ति प्राप्त करेगी। समिति कुल 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय नहीं करेगी।

6– समिति निबन्धन के पश्चात् कार्यालय उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पत्रांक 528 / सह0 / निबन्धन / 2002दिनांक18–5–2002के अनुरूप सचिव के सम्बन्ध में औपचारिकतायें पूर्ण करायेगी।

उपरोक्त क्रम संख्या–1 से 6 तक समस्त कथन पूर्णतया सत्य एवं सही है, इसमें कोई बात न तो असत्य हैं और न तो छिपायी गयी हैं।

शपथी

Refer to Process No.	Prepared by	Reviewed by	Approved by
UPHDB/ PM/ COH/58 & O/O No. UPHDB/OO/COH/01	AHC/AR	DHC/DR	H.C/RCS

सदस्यो द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूपः
(रू0 2/– के स्टाम्प स्टाम्प पर)

शपथ –पत्र

स्व हस्ताक्षरित फोटो मुख्य प्रवर्तक द्वारा प्रमाणित

समक्षः उप आवास आयुक्त/उप निबन्धक,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ ।

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति..निवासी.......... .... निम्नलिखित शपथपूर्वक बयान करता हूँ।

1. मेरा उपरोक्त नाम व पता सही हैं।
2. मेरी आयु.......................वर्ष हैं। मैं स्वस्थचित्त एवं सच्चरित्र व्यक्ति हूँ।
3. मेरी समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0.......................... हैं।
4. मैं प्रस्तावित....................................सहकारी आवास समिति लि0 .... के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूँ, रहने का/की इच्छुक हूँ
5. समिति के जनपद के शहरी क्षेत्र की सीमा के अन्दर मेरे तथा मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं।
6. मेरा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास उ0प्र0 के अन्य नगरों अथवा दिल्ली राजधानी क्षेत्र की विकसित कालोनियों में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं हैं।

उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 06 तक समस्त कथन पूर्णतया सत्य एवं सही हैं, इसमें कोई बात झूठी नहीं है और न ही छिपायी गयी हैं।

शपथी

परिशिष्ट "ख" उपविधि संख्या–8

घोषणा पत्र

मै ....पुत्र /पुत्री/पत्नी...व्यवसाय................................ निवासी...प्रस्तावित...सहाकारी आवास समिति लि0..का/की सदस्य बनना चाहता/चाहती हूँ। सदस्यता के पात्र होने के सम्बन्ध में निम्न घोषणा करता/करती हूँ।

1. मेरी आयु..............................वर्ष है। मैं स्वस्थचित्त व सच्चरित्र व्यक्ति हूँ।
2. मै समिति के कार्यक्षेत्र में रहता/रहती हूँ। रहने का/की इच्छुक हूँ।
3. समिति कार्यक्षेत्र में किसी नगर की सीमा के अन्दर मेरे अथवा मेंरे परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं है।
4. मै समिति के कार्यक्षेत्र में किसी अन्य आवास समिति का/की सदस्य नहीं हूँ और सिवाय नियम–43 के उपबन्धो के अधीन किसी अन्य आवास समिति का/की सदस्य नहीं बनूँगा/बनूँगी।
5. मै समिति की वर्तमान उपविधियों तथा उनमें से किये गये ऐसे परिष्कार, परिवर्तन व संशोधन को मानने के लिए बाध्य रहूँगा/रहूँगी जो मेरी सदस्यता की अवधि में विधिवत् किये जायेगे। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मै उपविधियों के अन्तर्गत प्रबन्ध कमेटी द्वारा बनाये गये विनियमों तथा दिये गये निर्देषों से आवद्ध रहूँगा/रहुँगी।
6. मै समिति की लिखित अनुमति के बिना अपनी भूमि या मकान को किराये पर नहीं उठाऊँगा/उठाऊँगी और नहीं उनका हस्तान्तरण, विक्रय/बन्धक द्वारा या अन्य किसी प्रकार करूँगा/करूँगी। साथ ही यह भी घेषित करता/करती हूँ कि अपने उपरोक्त मकान का प्रयोग किसी दुकान या गोदाम के रूप में अथवा किसी व्यापार के रूप में नहीं करूँगा/करूँगी।
7. मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा/करूँगी जो समिति के हितों के विरूद्ध हो या समिति के किसी विधिवत पारित संकल्प के विरूद्ध हो।
8. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त घोषणा में कोई भी तथ्य असत्य पाये जाने पर या उसका उल्लंघन किये जाने पर मै अधिनियम, नियमावली या समिति की उपविधि में निर्धारित अन्य किसी कार्यवाही के अतिरिक्त प्रबन्ध कमेटी के द्वारा निर्धारित आर्थिक दण्ड का भागी भी होऊँगा/होऊँगी।

दिनांक..................................

हस्ताक्षर सदस्य

साक्षीः–

1. हस्ताक्षर
   नाम एवं पता
2. हस्ताक्षर
   नाम एवं पता

सचिव नियुक्ति आदेश

श्री / श्रीमती.......................................

पता...

महोदय / महोदया,

प्रस्तावित .... सहकारी आवास समिति लि0 ....की संगठनात्मक बैठक दिनांक ....के प्रस्ताव संख्या...................... के अनुसार समिति में आपकी नियुक्ति अवैतनिक सचिव पद पर की गयी है। कृपया उपरोक्त पद पर तत्काल योगदान करने का कष्ट करें।

सभापति

दिनांक .... प्रस्तावित ....सहकारी आवास समिति लि0

....

<u>योगदान सूचना</u>

सभापति

प्रस्तावित.......................................

सहकारी आवास समिति लि0

लखनऊ ।

आपके आदेश दिनांक............................ के अनुपालन में आज दिनांक ....को पूर्वान्ह में समिति के अवैतनिक सचिव के पद पर योगदान कर रहा हूँ। कृपया योगदान आख्या स्वीकार करने का कष्ट करें ।

सभापति

दिनांक .... प्रस्तावित...........................सहकारी आवास समिति

लि....................... ।

	FORMAT	Document No.:	UPHDB./FOR/COH/1.7
	विषयः सहकारी आवास समितियों के निबन्धन की प्रकिया (प्रारूप 1.7)	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

आर्गेनाइजेशन रिपोर्ट

1- समिति का नाम..

2- समिति के लिए प्रस्ताव किस आदेश से हुआ..

3- यदि गॉव हो तो किस मजरे की है और नम्बर..
मौजा का विवरण दीजिए।

4- समिति किस ब्लाक या सेंट्रल समिति की सदस्य होगी..

5- (अ) कितने व्यक्ति समिति की सदस्यता के योग्य है..
(ब) इनमें से कितने शामिल होने योग्य है..
(स) क्या सम्पन्न और प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ....
संख्या में शामिल हुए है।
(द)अन्य व्यक्ति क्यों उद्धत नहीं हैं..

6- (अ) क्या सदस्य समिति के उद्देश्यों से परिचित हैं और..
समिति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझते है।
(ब) प्रस्तावित सभापति सेक्रेटरी का नाम लिखिये..
(स) क्या पंचायत ने अपने अधिकारो एवं कर्तव्यों को समझ..
लिया है।
(द) क्या कोई योग्य शिक्षित सदस्य समिति का हिसाब..
किताब रखने को तैयार है।

7- यदि ग्राम में किसी प्रकार की कोई सहकारी समिति है तो..
..तो उसका विवरण दीजिये।

8- अन्य विशेष बातें

इन्सपेक्टर रिपोर्ट

1. इन्सपेक्टर ने किस तारीख में स्थानीय आर्गनाइजेशन की जॉच की।

2- क्या इन्सपेक्टर समिति के बारे में सदस्यों की जानकारी तथा उत्सुकता से संतुष्ट है।

3. क्या इन्सपेक्टर संतुष्ट हैं कि प्रस्तावित पंचायत में समिति कार्य संचालन की योग्यता है।

4. क्या समिति में एक परिवार से एक ही सदस्य लिया गया है।

5- क्या समिति के कार्य संचालन के लिए आवश्यक पूॅजी सदस्यों तथा आवास संघ से प्राप्त होगी।

6- अन्य विवरण

Refer to Process No. UPHDB/ PM/ COH/58 & O/O No. UPHDB/OO/COH/01	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	AHC/AR	DHC/DR	H.C/RCS

	FORMAT	Document No.:	UPHDB./FOR/COH/1.8
	विषयः सहकारी आवास समितियों के निबन्धन की प्रकिया (प्रारूप 1.8)	Revision No.:	00
		Effective Date:	1.4.2004
		Page 1 of 1	

प्रस्तावित .... सहकारी आवास समिति लि0.................................. .... के सदस्यों का विवरण

क्रम संख्या	प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	व्यवसाय अथवा पेशा	वार्षिक आय	पूरा पता	हस्ताक्षर

मुख्य प्रवर्तक

Refer to Process No. UPHDB/ PM/ COH/58 & O/O No. UPHDB/OO/COH/01	Prepared by	Reviewed by	Approved by
	AHC/AR	DHC/DR	H.C/RCS